(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 87 / 2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 188

मनीराम पुत्र श्री बद्री प्रसाद उम्र 58 वर्ष जाति मीणा निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.... वादी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा बनवास तहसील बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक जिला झुंझुनूं राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांकः–....................

वादी की और से वाद पत्र निम्नप्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम ढ़ाणी हुक्मा पटवार हल्का माकड़ो तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 62 के ख0 न0 555 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0 न0 556 रकबा 3.47 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी सख्या 1 सयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ने उक्त भूमि का बाहमी बटवारा कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है [illegible] उक्त वाद वर्णित भूमि का विधिवत रूप से खाता विभाजन नही हुआ [illegible] संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास करना चाहता है मकान बनाने के लिये रूपान्तरण करवाना चाहता है व लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में भारी परेशानी होती है तथा सुधार कार्य के लिए ऋण लेने में परेशानी होती है। तथा लगान आदि देने में भी झंझट रहता है एवं कमी बेसी व अच्छी बुरी को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना करवाने के लिए एक सप्ताह पहले प्रतिवादी सख्या 1 को कहा तो वह इन्कार हो गया इसलिये वाद का कारण उत्पन्न हुआ और वादी को यह वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 के यहां वादी ने अपने हिस्से की भूमि को रहन रख रखा है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक भू स्वामी होने से पक्षकार बनाया गया है।

5. यह कि दावे प्रतिवादीगण को खाता विभाजन हेतु कहने पर सन्तोष जनक जवाब ना देने से पैदा हुआ अतः दावा सावधि पेश है वैसे भी कानून में खाता विभाजन हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

6. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम ढ़ाणी हुक्मा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी की सीमा में स्थित होने से यह वाद सुनवाई का न्यायालय श्रीमान जी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

7. यह कि टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट में दावा खाता विभाजन हेतु एक रूप्ये कोर्ट फीश पर सहायक कलेक्टर के यहा पेश करना दर्ज है इसलिए एक रूप्ये कोर्ट पर यह वाद न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश है।

8. यह कि आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड अपडेट है तथा शपथ पत्र वादी पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा पटवार हल्का माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2058 के खाता सख्या 62 के खसरा न0 555 रक्बा 0.05 हैक्टर ख0 न0 556 रकबा 3.47 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 3.52हैक्टर में वादी के 2/3 हिस्से की भूमि का रास्ता कायम करते हुये खाता विभाजन किया जाकर वादी के ना से अलग खाता कायम किये जावें। एवं लगान भी अलग से कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से राजस्व अभिलेख में नकल जमांबदी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 62 व नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 07.02.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 03.05.2023 को प्राप्त हुई। वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

आदेश

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित हाल खाता स0 62 के ख0 न0 555 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0 न0 556 रकबा 3.47 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 87 / 2021

निर्णय दिनांक :– 23.08.2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 188

मनीराम बनाम रामप्रसाद आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री प्रवीण कुमार मीणा एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज तारीख 23.08.2023 को **सुनील कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित हाल खाता स0 62 के ख0 न0 555 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0 न0 556 रकबा 3.47 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख.**23.08.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
[illegible] अधिकारी एवं
[illegible] कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)